



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)  
गढ़उग्रिया, ओड़िशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2-1-2/809/संबद्धता/2022/२०

रायगढ़, दिनांक ०७.०३.२२

// आदेश //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर के अनुमति पत्र क्र. 2571/104/आउशि/अ.शै.प्र./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27.02.2021 तथा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय (अटल विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय) विलासपुर के अधिसूचना क्रमांक 289/अका./2021 विलासपुर, दिनांक 27.03.2021 एवं संशोधित अधिसूचना 341/अका./2021 विलासपुर, दिनांक 12.04.2021 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर रायगढ़ सिटी कॉलेज, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नांकित विषय/पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.कॉम-अंतिम वर्ष (सभी अनिवार्य विषय)	30-सीट

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे।
4. उपरोक्त पाठ्यक्रमानुसार पर्याप्त उपकरणों एवं पुस्तकें क्रय किया जावे।

उल्लेखित शर्तों का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 07.04.2022 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

प्रभारी कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक ०७.०३.२२

पृ. क्रमांक 2-1-2/809/संबद्धता/2022/२०२

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, रायगढ़ सिटी कॉलेज, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी (अका.)